संलग्नक-8

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में पीओएल टर्मिनल परियोजना कोरबा, ग्राम–गोपालपुर, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा की दिनांक 22.12.2011, दिन–गुरूवार, स्थान– पूर्व आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड (वर्तमान नाम मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि.) के परिसर में, ग्राम–गोपालपुर; तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में पीओएल टर्मिनल परियोजना कोरबा, ग्राम–गोपालपुर, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् अपर कलेक्टर, कोरबा की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा की उपस्थिति में दिनांक 22.12.2011, दिन–शुक्रवार को पूर्व आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड (वर्तमान नाम मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि.) के परिसर में, ग्राम–गोपालपुर; तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा में प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई प्रारंभ हुई।

सर्वप्रथम श्री उमेश कुमार धूत, उपमहाप्रबंधक, मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना और पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) के कार्यपालिक सार का प्रस्तुतीकरण उपस्थित जन समुदाय के समक्ष करते हुए जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में पीओएल टर्मिनल परियोजना कोरबा, ग्राम–गोपालपुर, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् आयोजित लोक सुनवाई में लोक सुनवाई सूचना प्रकाशन तिथि से दिनांक 21.12.2011 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा में लिखित में 09 चिंताएँ/सुझाव/विचार/

टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। दिनांक 22.12.2011 को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान लिखित में 03 चिंताएँ/सुझाव/ विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। इस प्रकार लिखित में कुल 12 चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुये। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 18 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप से चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ अभिव्यक्त की गईं। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को सुनकर अभिलिखित किया गया।

लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं :–

1. मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कोरबा में पी.ओ.एल. टर्मिनल की स्थापना होने से कोरबा जिले के स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा अथवा नहीं?

2. पी.ओ.एल. टर्मिनल की स्थापना से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

3. प्रस्तावित परियोजना की स्थापना से यदि आकस्मिक घटना/दुर्घटना जैसे आग लगना, विस्फोट होने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई है।

4. पी.ओ.एल. टर्मिनल की स्थापना मुख्य मार्ग में न की जाकर 1 कि.मी. पीछे स्थापित की जायें ।

5. कोरबा एवं छ.ग. के शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाये।

6. प्रस्तावित परियोजना की स्थापना से ट्रकों एवं टैंकरों के आवाजाही से कोरबा–कटघोरा मार्ग पर यातायात दबाव पड़ेगा, जिससे सड़क दुघर्टनाओं में वृद्धि होगी।

7. मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पी.ओ.एल. टर्मिनल स्थापना के दौरान काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 4 गुना वृक्षारोपण किया जाये एवं उसकी देखरेख प्रबंधन द्वारा किया जाये।

8. प्रस्तावित परियोजना में कोरबा क्षेत्र के लोगों को रिसायत दर पर पेट्रोल, डीजल एवं करोसीन की व्यवस्था की जाये।

9. सिविल निर्माण कार्यों में कोरबा के लोगों से ही ठेका पद्धति के आधार पर कार्य कराया जाये।

10. कोरबा क्षेत्र एवं ग्राम गोपालपुर के आसप्रास सामुदायिक विकास के कार्य जैसे–शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली एवं अन्य निर्माण कार्य किये जायें जिससे यहां के लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो सके।

11. पी.ओ.एल. टर्मिनल की स्थापना से भारी संख्या में वाहनों के आने जाने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

12. प्रस्तावित परियोजना से कृषि योग्य भूमि प्रभावित होगी।

13. प्रस्तावित परियोजना से नदी, नाले, तालाब, स्टॉप डेम एवं बड़े बांध प्रभावित होंगे।

14. प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई की जानकारी ग्रामीणों को नहीं है और न ही प्रभावित क्षेत्रों में मुनादी करवाई गई है।

15. प्रस्तावित परियोजना द्वारा सुरक्षा के क्या उपाय किये गए हैं जिससे दुर्घटना की स्थिति निर्मित न हो।

16. प्रस्तावित परियोजना की स्थापना से कितने गांव एवं कितने परिवार विस्थापित होंगे?

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट में टी.ओ.आर. का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही टी. ओ.आर. का पालन प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट में संलग्न है स्थिति स्पष्ट करें।

18. प्रस्तावित परियोजना में लगभग 90 हेक्टेयर भूमि बताई जा रही है इस भूमि पर हजारों की संख्या वृक्ष है। परियोजना की स्थापना से इन वृक्षों को काट दिया जायेगा जिससे पर्यावरण को क्षति होगी।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार वन भूमि की परिभाषा के अंतर्गत ऐसी भूमि भी आती है जहाँ प्रति हेक्टेयर 200 पेड़ हैं और 10 एकड़ से ज्यादा भूमि में सघन वृक्षारोपण हो तो वह वनभूमि के अंतर्गत आता है। अतएव उक्त क्षेत्र में वृक्षों की कटाई हेतु क्या इन्हें अनुमति प्राप्त है?

20. पूर्व आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड गोपालपुर द्वारा जिन पूर्व भू–विस्थापितों का मुआवजा आज दिनांक तक नहीं दिया गया है उन भू–विस्थापितों के मुआवजा के संबंध में इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड गोपालपुर द्वारा क्या व्यवस्था की जायेगी?

उपरोक्त समस्त चिंताओं की टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के संबंध में संस्थान के उपमहाप्रबंधक, मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रदान की गई :–

1. मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कोरबा में पी.ओ.एल. टर्मिनल के निर्माण में स्थानीय लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार उपलब्ध होने की संभावना रहेगी एवं प्रचालन शुरु होने पर निगम में होने वाली कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यकता अनुसार निगम, केन्द्र एवं राज्य सरकार के नियमानुसार की जायेगी।

2. पी.ओ.एल. टर्मिनल के स्थापना होने से पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पी.ओ.एल. टर्मिनल से स्टेक उत्सर्जन नहीं होगा और ना ही अपशिष्ट का उत्सर्जन होगा। भूमिगत जल एवं आसपास की भूमि की उत्पादन क्षमता पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. पी.ओ.एल. टर्मिनल में आकस्मिक घटना/ दुर्घटना/ आग लगने/ विस्फोट होने जैसी घटनाओं से निपटने का पूर्ण प्रबंध होगा। सभी प्रबंध OISD/NFPA/API तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप होगा। प्रस्तावित पेट्रोलियम भंडारण टैंको में आग बुझाने के सभी साधन जैसे स्प्रिंकलर प्रणाली/ फोम पोरर प्रणाली /रिम सील प्रोटेक्शन प्रणाली/ वाटर एवं फोम मानीटर की स्थापना की जाएगी।

4. पी.ओ..एल. टर्मिनल के परिसर में पेट्रोलियम भंडारण टैंकों एवं सुविधाओं की स्थापना तथा मुख्य सड़क से इनकी दूरी/ अंतर दूरी OISD मानक के अनुसार होगी तथा CCE नागपुर के अनुमोदन के शर्तों के अनुसार होगा। प्रस्तावित टर्मिनल में टैंकरों की ठहराव व्यवस्था परिसर के अंदर ही होगी।

5. मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कोरबा में पी.ओ.एल. टर्मिनल के निर्माण में स्थानीय लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार उपलब्ध होने की संभावना रहेगी एवं प्रचालन शुरु होने पर निगम में होने वाली

कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यकता अनुसार निगम, केन्द्र एवं राज्य सरकार के नियमानुसार की जायेगी।

6. उपरोक्त पी.ओ.एल. टर्मिनल में टैंकरों की प्रतिदिन 70–80 लोडिंग की क्षमता रहेगी, जिससे 8–10 ट्रेंकर प्रति घंटा के दर से सड़क पर निकलेगी अतः सड़क पर इसका दबाव नहीं रहेगा।

7. पी.ओ..एल. टर्मिनल के स्थापना के समय काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में छ.ग.भू. रा.सं.1959/जिलाधिकारी महोदय द्वारा की गई अनुमति के अनुसार 3 गुना वृक्षारोपण परिसर के अंदर ही किया जाएगा। उपरोक्त वृक्षारोपण की पूर्ण व्यवस्था तथा रखरखाव निगम के द्वारा की जाएगी।

8. प्रोडक्ट दर का निर्धारण केन्द्र एवं राज्य सरकार के नियमानुसार होना है अतः रियायती दर पर का मिलने की संभावना नहीं है।

9. ठेका पर कार्य का आबंटन के लिए निगम की अपनी व्यवस्था है जो पूरे देश में समान रुप से लागू है एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरुप हैं।

10. आई. ओ. सी. सामुदायिक विकास` कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल, स्वच्छता एवं महिला सशक्तिकरण के कार्य ग्राम गोपालपुर के आसपास आवश्यकतानुसार ग्राम वासियों एवं उनके द्वारा चयनित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास कार्यों का चयन तथा उसका निष्पादन करेगी।

11. पी.ओ.एल. टर्मिनल के स्थापना होने से पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पी.ओ.एल. टर्मिनल से स्टेक उत्सर्जन नहीं होगा ओर ना ही अपशिष्ट का उत्सर्जन होगा। भूमिगत जल एवं आसपास की भूमि के उत्पादन क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12. पी.ओ.एल. टर्मिनल पेट्रोलियम उत्पादो के भंडारण एवं वितरण के लिए स्थापित किया जाएगा, इस पी.ओ.एल. टर्मिनल से स्टेक उत्सर्जन नहीं होगा ओर ना ही अपशिष्ट का उत्सर्जन होगा, अतः आस पास के कृषि भूमि की उर्वरक क्षमता/ उत्पादन क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

13. पी.ओ.एल. टर्मिनल के स्थापना होने से पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पी.ओ.एल. टर्मिनल से स्टेक उत्सर्जन नहीं होगा ओर ना ही अपशिष्ट का उत्सर्जन होगा। अतः कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14. परियोजना के अंतर्गत आने वाले ग्रामों गोपालपुर, चोरभट्टी, मरवामोहा में नियमानुसार मूनादी की गई है।

15. पी.ओ.एल. टर्मिनल के आकस्मिक घटना/ दुर्घटना/ आग लगने/ विस्फोट होने जैसी घटनाओं से निपटने का पूर्ण प्रबंध होगा। सभी प्रबंध OISD/NFPA/API तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप होगी। प्रस्तावित पेट्रोलियम भंडारण टैंको में आग बुझाने के सभी साधन जैसे स्प्रिंकलर प्रणाली/ फोम पोरर प्रणाली /रिम सील प्रोटेक्शन प्रणाली/ वाटर एवं फोम मानीटर की स्थापना की जाएगी।

16. पी.ओ.एल. टर्मिनल परियोजना को स्थापना के लिए कोई भूमि अधिग्रहण नहीं की गई है अतः कोई परिवार विस्थापित नहीं होंगा।

17. टी.ओ.आर. के अनुसार ई.आई.ए. रिपोर्ट को संशोधित किया गया है, और टी.ओ.आर. का बिन्दु वार पालन प्रतिवेदन भी छ.ग. पर्यावरण मन्डल में जमा किया गया है।

18. प्रस्तावित परियोजना के लिए लगभग 22 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। उक्त भूमि पर 3164 वृक्ष है जिसको काटने की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रदान की गई है। उक्त अनुमति के शर्तो के अनुसार 3 गुना वृक्षारोपण परिसर के अन्दर की जायेगी एवं उसका रखरखाव निगम के द्वारा किया जायेगा।

19 उक्त परियोजना पर वृक्षों का घनत्व 170 प्रति हेक्टेयर से कम है अतः यह वनभूमि की परिभाषा में नहीं है। इस संबंध में वनमडंलाधिकारी कटघोरा द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया है एवं अनापत्ति प्रभाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रदान किया गया है।

20 पूर्व आई. बी. पी. द्वारा पूर्व भूविस्थापितों का मुआवजा नहीं दिए जाने का यदि कोई प्रकरण आता है तो आई.ओ.सी.उस पर त्वरित कार्यवाही कर नियमानुसार उसका निपटारा करेगी।

दिनांक 22.12.2011 को आयोजित लोक सुनवाई की समस्त कार्यवाही की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई है।

लोक सुनवाई के संबंध में लिखित में प्राप्त कुल 12 चिंताएँ/सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ, लोक सुनवाई के दौरान 18 व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों का अभिलिखित पत्रक, लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का उपस्थित पत्रक, विडियो फिल्म (असंपादित सी.डी.) एवं फोटोग्राफ्स के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही संलग्न कर विवरण सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
रायपुर, कोरबा (छ.ग.)

अपर कलेक्टर,
कोरबा (छ.ग.)
जिला–कोरबा (छ.ग.)